# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 05/2020

**उनवान**

श्रीमती सन्तोष उर्फ हन्तोक बेवा स्व. कन्हैयालाल जाति वेद उम्र निवासी पालोदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादीया

**बनाम**

(1) शंकर पिता हिरा उर्फ हिरजी जाति तेली निवासी पालोदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(2) जगु पिता धुलजी जाति आदिवासी निवासी पालोदा तहसील गढी जिला।
(3) पेमु पत्नि नाथु चरपोटा जाति आदिवासी निवासी पालोदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(4) तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

## वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 रा.का.अ.

## निर्णय

दिनांकः १५.02.2023

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भुमि सर्वे नम्बर 1077 रकबा 0.04 एयर, सर्वे नम्बर 5171 रकबा 0.07 एयर, सर्वे नम्बर 5186 रकबा 0.05 एयर, सर्वे नम्बर 5187 रकबा 0.06 एयर कुल खेत नंग 04 कुल रकबा 0.22 एयर भुमि वाके गांव पालोदा तहसील गढी (बांसवाडा) मे स्थित है। वादीया अपनी उक्त कृषि भुमि पर कृषि कार्य कर निर्बाध रूप से उपयोग व उपभोग करती चली आ रही है। आज से करीब 08 रोज पुर्व अभियुक्तगण एकराय एवं हमसलाह, होकर अनाधिकृत रूप से जबरन प्रवेशकर आये वादीया की उक्त कृषि भुमि पर खेती करने लगे। वादीया को जानकारी मिलने पर रोकने गई तो अभियुक्तगण सभी मिलकर वादीया के साथ लडाई झगडा एवं मारपीट करने उतारू हो गये व कहने लगे की यह भुमि हमारी है इस पर हम कृषि कार्य करेंगे। आज के बाद यहा पर दिखाई दी तो अच्छा नहीं रहेगा कहते हुए धमकिया देने लगे। प्रतिवादीगण का वादीया की भुमि पर कोई हक और अधिकार नही है परन्तु बाहुबल के आधार पर जबरन अतिक्रमण कर खेती करने आमादा है जिन्हे जरिये आज्ञापक आदेश हटाया जाना आवश्यक है। इस हेतु वाद अन्तर्गत धारा 183 रा.का.अ. के तहत पेश हुआ।

वादीया की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री दीपक जोशी, अभिभाषक का वकालतनाम पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के सम्मन बाद तामील प्राप्त होने के उपरान्त भी किसी के उपस्थित नही होने पर प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही का आदेष पारित किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 का जवाब पेश नही होने पर प्रतिवादी संख्या 01 का जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली वादी की साक्ष्य हेतु नियत की जाने पर वादी की साक्ष्य के रूप में श्रीमति सन्तोष का शपथ-पत्र पेश हुआ, [illegible] ल प्रतिवादी अभिभाषक को दिलाई जाकर पत्रावली वास्ते जिरह नियत की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] बहस सुनी जाने पर ज्ञा[illegible] कि प्रकरण धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का नही होना पाया जाकर धारा 18[illegible]स्थान काश्तकारी अधिनियम का होना स्वीकार किया जाकर [illegible]-पत्र में वर्णित पटवार हल्का पालोदा की जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 की खाता संख्या 775 (नई) 680 (पुरानी) के कुल किता 04 रकबा 0.22 हे0 भूमि में प्रतिवादीगण न तो प्रवेश करें एंव न ही अपने परिचित, रिश्तेदार से ऐसा

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.08.29 13:38:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

कृत्य करावें जिससे की वादीया की खातेदारी भूमि में कृषि कार्य करने में व्यवधान पैदा इस आशय से प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

**आदेश**

पटवार हल्का पालोदा की जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 की खाता संख्या 775 (नई) 680 (पुरानी) के कुल किता 04 रकबा 0.22 हे0 भूमि में प्रतिवादीगण न तो प्रवेश करें एंव न ही अपने परिचित, रिश्तेदार से ऐसा कृत्य करावें जिससे की वादीया की खातेदारी भूमि में कृषि कार्य करने में व्यवधान पैदा इस आशय से प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जाकर ईस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक १५.02.2023 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.08.29 13:38:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner